



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27082026-275775
CG-DL-E-27082026-275775

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4570]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 25, 2026/भाद्र 3, 1948

No. 4570]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 25, 2026/BHADRA 3, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2026

का.आ. 4755(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 क की उपधारा (1) द्वाराप्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले के रामटेक तहसिल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (नया राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 44) के किमी. 652.000 से किमी 723.000 (जबलपुर-नागपूर सेक्शन) के निर्माण करने (चौड़ाकरने /चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् “उप जिलाधिकारी भूसंपादन (सामान्य) नागपूर महाराष्ट्र को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात, तथा ऐसी और जाँचकरने के पश्चात, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात

कर सकेगा या अनुज्ञात करेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले में राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 7 के कि.मी 652.000 से कि.मी 723.000 तक (जबलपुर-नागपुर सेक्शन) के लिये अर्जन कि जानेवाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: नागपुर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: रामटेक					
गांव का नाम: कान्द्री (सिटी)					
1	288/2	निजी	एग्रीकल्चर (क्लास 1)	0.009476 (हेक्टेयर)	0.009476
Total					0.009476

[फा. सं. NHAI/1001/Tech/NS-1/LA/SEONI/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th August, 2026

S.O. 4755(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, of the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building ,(widening/ four laning etc) maintenance, management and operation of National Highway No. 7 (New National Highway No. 44) in Ramtek Tahasil, in the stretch of land from km. 652.000 to km 723.000 (Jabalpur-Nagpur Section) in the Nagpur District, in the state of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act,

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Deputy Collector, Land Acquisition (General), Nagpur Maharashtra, in the in writing and shall set out the grounds thereof and the said competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available, and can be inspected by the interested person, at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling with in the stretch of land from km 652.000 to km 723.000 (Jabalpur-Nagpur Section) of National Highway No. 7 in the Nagpur District, in the state of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA			District: NAGPUR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Ramtek					
Village: Kandri (CT)					
1	288/2	Private	Agriculture (Class 1)	0.009476 (Hectare)	0.009476
Total					0.009476

[F. No. NHAI/1001/Tech/NS-1/LA/SEONI/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director